राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....2114/2013..... जिला .....कोटा.....

उनवान : मैसर्स पाराशर ट्रेडिंग कम्पनी, मधुबन कॉलोनी, बायपास रोड़, श्योपुर (मध्यप्रदेश)

बनाम

(1) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–तृतीय, कोटा

(2) अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ श्री मनोहर पुरी, सदस्य	
16/10/2014	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना–पत्र सख्या 164/RVAT/स्थगन/AA-I/13–14 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 11.10.2013 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–तृतीय, वृत–प्रतिकरापवंचन, कोटा (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 30.8.2013 से सृजित मांग राशि की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किये जाने से इन्कार किया है। अपीलार्थी द्वारा स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में बकाया वसूली योग्य मांग राशि रूपये 2,86,000/– की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री एम. एल. पाटौदी एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा की बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि उक्त जांच माल से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे। माल श्योपुर (म.प्र.) से नीमच जा रहा था। वाहन चालक द्वारा खलासी को लेने के लिये वाहन को भामाशाहमण्डी लाया गया था। उक्त स्थिति सक्षम अधिकारी के समक्ष स्पष्ट कर दी गयी थी। माल के नीमच पहुंचने पर प्रेषिति व्यवहारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र एवं अपीलार्थी व्यवहारी के बैंक स्टेटमैंट की प्रति सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी थी। सक्षम अधिकारी ने केवल अनुमान के आधार पर माल को भामाशाहमण्डी में उतारा जाना अवधारित करते हुए धारा 76(6) के तहत शास्ति एवं धारा 76(12) के तहत वैट का लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....2114/2013..... जिला .....कोटा.....

उनवान : मैसर्स पाराशर ट्रेडिंग कम्पनी, मधुबन कॉलोनी, बायपास रोड़, श्योपुर (मध्यप्रदेश)

बनाम

(1) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–तृतीय, कोटा

(2) अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/10/2014	आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण के तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अतः प्रकरण में सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने से वसूली योग्य राशि रूपये 2,86,000/– की वसूली पर रोक आदेश जारी किया जावे। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी का स्थगन प्रार्थना–पत्र मय अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन करने तथा उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना**, प्रकरण में बकाया शेष राशि **रूपये 2,86,000/–** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। निर्णय सुनाया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	